(1)

No. EDN-H(1) B(15)1/2009 Imp. Instt. -2019
Directorate of Higher Education
Himachal Pradesh

Dated: Shimla- 171001 the

To

1. All the Principals, Govt. Degree Colleges, Himachal Pradesh.
2. All the Deputy Directors of Hr. Education, Himachal Pradesh.
3. All the Principals, Govt. Sr. Sec. Schools / Head Masters Govt. High Schools/ Commander NCC Group Head quarter & all units/ Librarian C.S.L. Solan & all Distt. Libraries in H.P.

Subject: - मतदान कार्मिकों जो निर्वाचन डियुटी देते हुये मृत्यु को प्राप्त हो जाते है, के परिवारो को अनुग्रहपूर्वक मुआवजे की अदायगी करना ।

Sir,

Your attention is invited towards Letter No.EDN-A-Kha (15) 1/2019 dated 03.06.2019 received from Principal Secretary (Education) to the Govt. of Himachal Pradesh addressed to the Director of Higher Education, HP on the subject cited above ***(copy enclosed)*** and to take further necessary action accordingly.

Sd/-
(Dr. Sonia Thakur, HAS)
Jt. Director Higher Education (Admn)
Himachal Pradesh.
email:dhe-sml-hp@gov.in 0177-2658052
29/6/2019

Endst. No. Even Dated Shimla-171001, the
Copy to:-

1. The Principal Secretary (Education) to the Govt. of HP Shimla-1 w.r.t. his letter No.EDN-A-Kha (15) 1/2019 dated 03.06.2019 for information please.
2. The Chief Electoral Officer, HP w.r.t. to his letter No. 2-12/2018-ELN -3423 dated 22.05.2019 for information please.
3. ***All the Branch Officer / Superintendents, Director of Higher Education HP with the remarks that to take further necessary action in the matter accordingly for strict compliance.***
4. The Incharge Computer Cell, Dte. of Hr. Education, H.P with the remarks to **upload the said orders on the deptt. website.**
5. Guard File.

Jt. Director Higher Education (Admn)
Himachal Pradesh.

शिक्षा निदेशालय उच्चतर
01-JUN-2019

Immediate

NO. EDN-A-Kha (15)1/2019.
Government of Himachal Pradesh
Department of Higher Education

From

The Principal Secretary (Education) to the,
Government of Himachal Pradesh Shimla-2

To

The Director, Higher Education,
Himachal Pradesh Shimla-171001.

Dated, Shimla-2 the 3rd June, 2019.

Subject: - मतदान कार्मिकों जो निर्वाचन डियुटी देते हुये मृत्यु को प्राप्त हो जाते है, के परिवारो को अनुग्रहपूर्वक मुआवजे की अदायगी करना।

Sir,

I am directed to invite your kind attention to letter No. 2–12/2018–ई.एल.एन.–3423 Dated: 22.05.2019 (copy enclosed for ready reference) received from Addl. Secretary (Election) to the Govt. of H.P. addressed to Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh and copy endst. to all Administrative Secretaries/all HOD/Others on the subject cited above and to request you to look into the matter and take further necessary action accordingly.

Yours faithfully,

Special Secretary (Hr. Edu.) to the,
Government of Himachal Pradesh.

P.S. Cell
DHE.......
03 JUN 2019
Branch

*****

संख्याः 2–12/2018–ई.एल.एन. – 3423
हिमाचल प्रदेश सरकार
"निर्वाचन विभाग"

दिनांकः शिमला–171009, 30 मई, 2019

प्रेषकः

सचिव (निर्वाचन),
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

प्रेषितः

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

विषयः– **मतदान कार्मिकों जो निर्वाचन डियुटी देते हुये मृत्यु को प्राप्त हो जाते है, के परिवारों को अनुग्रहपूर्वक मुआवजे की अदायगी करना।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर, भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 218/6/2019/ई.पी.एस., दिनांक 10 अप्रैल, 2019 के अनुसरण में तथा इस विभाग के समसंख्यांक पत्र, दिनांक 13 मई, 2014 का अधिकमण करते हुए, मुझे यह कहना है कि लोक सभा और विधान सभा के निर्वाचनों के संचालनार्थ ऐसे सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों जिन्हें मतदान कार्मिकों के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है और जिनकी निर्वाचन के कार्य के दौरान मृत्यु हो जाती है या स्थाई निःशक्तता हो जाती है, के परिवारों व निकटस्थ सम्बन्धियों और निःशक्त हुए मतदान कार्मिकों को विशेष अनुग्रहपूर्वक मुआवजे की राशि देने के मामले पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिशों के दृष्टिगत पुनः विस्तारपूर्वक विचार कर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई है कि उपरोक्त निर्वाचनों/उप–निर्वाचनों के संचालनार्थ सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों जिन्हें मतदान के कार्य हेतु प्रतिनियुक्त किया जाता है, की हिंसा, उत्तेजना व दंगों आदि से निर्वाचन का कार्य निभाते समय मुत्यु हो जाती है या स्थाई निःशक्तता हो जाती है, के परिवारों व निकटस्थ सम्बन्धियों को और निःशक्त हुए मतदान कार्मिक को, सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना–1985 के अन्तर्गत मिलने वाली राशि के अतिरिक्त, निम्न प्रकार से विशेष अनुग्रहपूर्वक मुआवजे की राशि प्रदान की जाएगी । यह आदेश तत्काल से लागू होंगे :–

1.	मृत्यु होने पर	15 लाख रूपये
2.	हिंसा, उत्तेजना व दंगों आदि से मृत्यु होने पर	30 लाख रूपये
3.	स्थाई निःशक्तता पर	7.5 लाख रूपये
4	हिंसा, उत्तेजना व दंगों आदि से स्थाई निःशक्तता होने पर	15 लाख रूपये

मिलने वाली देय अनुग्रहित अनुदान (Ex-gratia grant) के अतिरिक्त होगी ।

3. यह विशेष अनुग्रहपूर्वक मुआवजे की राशि स्थानीय स्वाशासन संस्थानों, बोर्डों, निगमों के अधिकारियों/कर्मचारियों को भी मृत्यु/स्थाई/अस्थाई निशक्तता की दशा में प्रदान की जाएगी । कानून और व्यवस्था हेतु प्रतिनियुक्त पुलिस कार्मिकों/गृह सुरक्षा कार्मिकों को मृत्यु/स्थाई/अस्थाई निशक्तता की दशा में उपरोक्त विशेष अनुग्रहपूर्वक मुआवजे की राशि का भुगतान गृह विभाग द्वारा सम्बन्धित लेखा शीर्ष के अधीन वहन किया जायेगा ।

4. उपरोक्त विशेष अनुग्रहपूर्वक मुआवजे की राशि, मतदान कार्मिकों के समरूप, निर्वाचन कार्य हेतु अधिग्रहित ऐसे वाहनों के चालकों/क्लीनरों/सहायकों इत्यादि को भी प्रदान की जाएगी कि जो वाहन राज्य या केन्द्रीय सरकार या उनके अधीनस्थ उपक्रमों के स्वामित्व में नहीं आते हैं और इन अधिग्रहित वाहनों को निर्वाचन कार्य हेतु अधिग्रहित किया गया हो ।

5. इस विशेष अनुग्रहपूर्वक मुआवजे की राशि को स्वीकृत करने के लिए **मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश** सक्षम होंगे । जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त) क्षेत्र से सम्बन्धित दण्डाधिकारी की रिपोर्ट सहित, जिसमें निर्वाचन कार्य के लिए प्रतिनियुक्त मतदान कार्मिक की मृत्यु/स्थाई निःशक्तता के कारण का स्पष्ट रूप से वर्णन होगा, चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र सहित पूर्ण स्वीकृति प्रस्ताव मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश, शिमला को प्रस्तुत करेंगे ।

6. इस पर होने वाला व्यय (पुलिस कार्मिकों और गृह सुरक्षा कार्मिकों को छोड़कर) निर्वाचन विभाग द्वारा क्रमशः मुख्य लेखा शीर्ष 2015–निर्वाचन (गैर योजना) दत्तमत 105–संसदीय चुनावों से सम्बन्धित प्रभार–01–संसदीय, 106–राज्य/संघ क्षेत्र विधान मण्डलों के चुनाव से सम्बन्धित प्रभार 01–विधान सभा, 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना 04–राज्य/संघ क्षेत्र से चुनाव से सम्बन्धित प्रभार–विधान सभा और 05–लोक सभा के चुनावों से सम्बन्धित प्रभार के मानक **''अन्य प्रभार''** के अधीन वहन होगा । लोक सभा और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधानमण्ड़लों के चुनाव, जब एक साथ हों, के दौरान होने वाला व्यय मुख्य लेखा शीर्ष 2015–निर्वाचन (गैर योजना) दत्तमत 104–लोक सभा और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधानमण्ड़लों के चुनाव, जब एक साथ हों, से सम्बन्धित प्रभार , 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना 09–लोक सभा और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधानमण्ड़लों के चुनाव, जब एक साथ हों, से सम्बन्धित प्रभार के मानक **''अन्य प्रभार''** के अधीन वहन होगा । लोक सभा के निर्वाचनों/उप–निर्वाचनों के दौरान मृत्यु/स्थाई/अस्थाई निःशक्तता होने पर दी जाने वाली विशेष अनुग्रहपूर्वक राशि का शत–प्रतिशत व्यय भारत सरकार द्वारा तथा विधान सभा निर्वाचनों/उप–निर्वाचनों की दशा में 100 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा व यदि दोनों निर्वाचन/उप–निर्वाचन एक साथ हो तो 50–50 प्रतिशत के अनुपातिक आधार पर राज्य व भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा ।

। उनके कमांक 54671608—फिन (सी)बी.(7)—18/89, दिनांक 17—04—2019 द्वारा प्राप्त की गई है,

जारी हुआ है ।

—हस्ता0—

सचिव (निर्वाचन),
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

3423
ष्ठाकंन संख्या—2—12/2018—ई.एल.एन. दिनांक:शिमला—171009, 22 मई, 2019
तिलिपि सूचनार्थ तथा उपयुक्त समय पर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

सचिव,भारत निर्वाचन आयोग,निर्वाचन सदन, अशोका रोड़, नई दिल्ली—110001 को आयोग को उनके उपरोक्त पत्र के सन्दर्भ में सूचनार्थ ।

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हिमाचल प्रदेश,शिमला—171003 सूचनार्थ ।

महालेखाकार (लेखा परीक्षा), हिमाचल प्रदेश,शिमला—171003

प्रधान सचिव (वित्त/गृह) ,हिमाचल प्रदेश सरकार,शिमला—171002

समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ।

महानिदेशक पुलिस/कमाडेंट जनरल, गृह सुरक्षा हिमाचल प्रदेश ।

समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश ।

डिवीजनल आयुक्त,शिमला/धर्मशाला/मण्डी ।

समस्त उपायुक्त (जिला दण्ड़ाधिकारी), हिमाचल प्रदेश ।

10. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त), हिमाचल प्रदेश ।

11. समस्त अध्यक्ष/प्रबन्धक निदेशक,बोर्ड/निगम, हिमाचल प्रदेश ।

12. समस्त रिटर्निगं/सहायक रिटर्निंग आफिसर,हिमाचल प्रदेश ।

अतिरिक्त सचिव (निर्वाचन),
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

IT Cell